न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या – 55/2012

वादीगण –

1. लीलादेवी पुत्री मानाराम पत्नी रणछोडजी जाति माली निवासी ओटवाडा हॉल कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
2. दडियादेवी पुत्री मानाराम पत्नी जोगाराम जाति माली निवासी कुण्डल हॉल कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।

ब ना म

प्रतिवादीगण –

1. पोलाराम पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी
2. पुरखाराम पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी
3. खीमाराम पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी
4. वंशीलाल पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी
5. वाबुलाल पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी
6. सवाराम पुत्र श्री जवानाराम जाति माली निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. वादीगण वकील श्री कैलाशपुरी
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित (एकपक्षीय)

:: निर्णय ::

दिनांक – 17.09.2021

यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकार घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वाद के तथ्य संक्षिप्त तथ्य यह है कि खेत खसरा संख्या 76 रकबा 48.17 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 248.08 बीघा कुल रकबा 297.05 बीघा सरहद मौजा कांखी में आयी हुई है उक्त भूमि की जमाबन्दी खतौनी संवत् 2066 से 2069 तक की साथ पेश है। उक्त भूमि वादीगण के दादा चिमनारामजी के कब्जा काश्त खातेदारी की थी, चिमनारामजी के छः पुत्र थे सबसे बडे पोलाराम, मानाराम, पुरखाराम, खीमाराम, वंशीलाल, वाबुलाल थे जिसमे से वादीगण के पिता मानाराम का देहान्त चिमनारामजी के जीवित रहते ही संवत् 2031 में हो गया था मानाराम के दो पुत्रियां थी जिसमें बडी वादीगण संख्या 01 लीला व छोटी वादीगण संख्या 2 दडिया थी। वादीगण के दादा चिमनारामजी का देहान्त सन् 1951 को हुआ। वादीगण के दादा चिमनाराम के देहान्त के बाद उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 358 प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व वादीगण के नाम का वहिस्सा बराबर – बराबर दर्ज करना था, लेकिन चिमनारामजी के देहान्त के बाद वादीगण के पिता मानाराम व वादीगण का नाम दर्ज न कर मात्र प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का नाम ही दर्ज किया गया, जबकि उक्त भूमि में वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ बहिस्सा बराबर – बराबर दर्ज करना था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

चिमनारामजी जन्म से हिन्दु थे तथा हिन्दु रहते हुये चिमनाराम की मृत्यु संवत् 2051 में हुई तथा चिमनारामजी के पुत्र मानाराम का देहान्त संवत् 2031 में हुआ। विधि के प्रवर्तन से वादीगण जो कि हिन्दु है प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के साथ मानाराम के प्रथम श्रेणी की वारिस होने से स्वतः ही ससंयुक्त खातेदार टिनेन्स घोषित हो गई अर्थात् चिमनारामजी के छः वारिस थे इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा मानारामजी के वारिस होने से विधिक रूप से बनता है। मानाराम का देहान्त होने के बाद वादीगण की परवरिश चिमनारामजी द्वारा ही की गई तथा चिमनारामजी ने ही वादीगण का विवाह करवाया अर्थात् वादीगण के दादा चिमनारामजी की उक्त पैतृक भूमि में अपने पिता स्व. मानाराम की वारिस होने से हिस्सा विधिक तौर पर है फिर भी चिमनारामजी के देहान्त के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर वादीगण का नाम छिपाकर, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने नाम से करवा दी। दिनांक 17.06.2012 को वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अन्जान लोगो को लाकर बेचान करने हेतु दिखाये जाने पर वादीगण द्वारा एतराज कर अपने पिता मानाराम के हक हिस्से की भूमि हेतु अभिलेख दुरूस्ती करवाने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 5 को कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 5 मुकर्र गये, तव वादीगण द्वारा अपने हिस्से की घोषणा करवाने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिकार घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पत्र पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री उमसिंह राठौड ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाव प्रस्तुत किया तथा वादपत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुये उक्त भूमि के सम्बन्ध में कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 01, 03 ता 05 का होना बताया तथा दावा खारिज करने की इस्तदुआ की। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 पुरखाराम द्वारा वाद पत्र के तथ्यों का स्वीकार करते हुये वादीगण को अपने भाई मानाराम की वारिस होने से वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा खातेदार घोषणा करवाने हेतु सहमति जाहिर कर इकबालीय जबाव प्रस्तुत किया। वादपत्र व जबावदावा के तथ्यो के आधार पर न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त खसरा संख्या 76 व 74 सरहद मौजा कांखी की भूमि वादी के पिता व प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त हिन्दु खानदान की सम्पति होने से वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारीगण है ?

जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण उक्त वादग्रस्त पैतृक सम्पति जो कि, स्वर्गीय चिमनारामजी की होने से चिमनारामजी के मालिकाना एवं स्व. मानाराम का 1/6 हिस्सा है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादीगण, मानारामजी की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से उक्त वादग्रस्त भूमि का 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:02 IST
Reason: SelfAttested

जिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने 1/6 हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की, दखल हस्तक्षेप कारित नहीं करे, इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारीगण है ?

जिम्मे वादीगण

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

4. आया वादीगण की माता चुकीदेवी द्वारा पुनर्विवाह / नाता करने से वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है ?

जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण को चिमनारामजी ने अपने जीवनकाल में ही नकदी, गहना घर बिक्री का सामान जिसकी किमत मानाराम के हिस्से से अधिक थी, को देकर उक्त वादग्रस्त सम्पति में हिस्सा समाप्त कर दिया था, ऐसी सूरत में वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बनने से दावा काबिल खारिज के है ?

जिम्मे प्रतिवादीगण

6. दादरसी ?

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के सन्दर्भ में वादीनी संख्या 01 स्वंय पी. डब्ल्यू 1 लीलादेवी एवं वादीनी संख्या 02 पी. डब्लयू 2 दडियादेवी तथा वादीगण के गवाहान् पी. डब्ल्यू 3 गिरधारीराम न्यायालय में प्रस्तुत हुये। इसी दरम्यान प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 ता 5 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं होने व जिरह नही करने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। जिस पर न्यायालय द्वारा वादीनी व वादीनी के गवाहान ने न्यायालय में बयान कलमबद्ध करवाये तथा वादीनी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी प्रदर्श 01 व 02 है वादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेस प्रदर्श 03 प्रदर्शित करवाये तथा वादीनी के ग्राम कांखी के निर्वाचन नामावली सन् 1971 की प्रति पेश की जो प्रदर्श 04 हैं। नामान्तरकरण संख्या 356 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 05 है एवं वादग्रस्त भूमि की खतौनी संवत् 2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 06 है। वादीनी द्वारा अपनी साक्ष्य बन्द की, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी की साक्ष्य की कोई खण्डन किया गया, न ही जिरह की गई। इस प्रकार वादीनी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य व दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा न्यायालय द्वारा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व वादपत्र का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

वादीगण ने अपने बयान में व्यक्त किया कि, उक्त भूमि वादीगण के दादा के नाम की खातेदारी की थी। वादीगण के पिता मानाराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 जो कि चिमनाराम के वारिसान है जिस पर चिमनाराम की सम्पति में बराबर – बराबर के हिस्सेदार है जिसके समर्थन में वादीगण ने चिमनाराम के नाम की सम्पति होने के सम्बन्ध में प्रदर्श 6 जमाबन्दी, खतौनी संवत 2009 प्रस्तुत की गई, जिसमें चिमना पुत्र तेजा माली का नाम दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 356 में भी चिमनाराम की फौतेदगी [illegible] 1 ता 5 का नाम दर्ज किया लेकिन छठे पुत्र स्व. मानाराम के व[illegible]र पर वादीगण का नाम दर्ज न कर प्रतिवादी संख्या 01 ता 5 का नाम ही दर्ज [illegible] गया तथा प्रतिवादी संख्या 02 ने भी वादीगण के पक्ष में सहमति जाहिर कर [illegible] जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र को स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में वादी[illegible] उक्त भूमि में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत बराबर बराबर की हिस्सेदार है तथा वादीगण के गवाहान् पी. डब्ल्यू 3 गिरधारी द्वारा भी सशपथ बयान देकर वादीगण के पिता स्व. मानाराम व प्रतिवादी संख्या 01 ता 5 चिमनाराम के वारिस होने व मौके पर बराबर – बराबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

हिस्से पर कब्जा काश्त करने का कथन किया, जिससे किसी प्रकार की कोई जिरह नहीं की गई अर्थात् तनकी संख्या 01 व 02 वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है। तनकी संख्या 03, तनकी संख्या 01 व 02 के आधार पर होने से स्वतः ही वादीनी के पक्ष में निर्णित हो गई अर्थात् उक्त तीनो ही तनकीयात वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है तनकी संख्या 4 व 05 प्रतिवादी के जिम्मे थी लेकिन प्रतिवादीगण ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, न हीं वादीगण व वादीगण के गवाहान से जिरह की गई। लिहाजा तनकी संख्या 04 व 05 प्रतिवादी संख्या 01, 3 ता 5 के विरूद्ध तय की जाती है। वादीगण ने अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है तथा मौके पर वादीगण का कब्जा है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के अनुसार वादीनी अपने वाद को सिद्ध करने में सफल रही है अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कांखी के खेत खसरा संख्या 76 रकबा 48.17 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 248.08 बीघा कुल रकबा 297.05 बीघा में वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा बाद घोषणा वादीगण के हक हिस्से की उक्त 1/6 हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी, बाधा नहीं करे। तहसीलदार सिवाना उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना – अपना वहन करे।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना
(SDO) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 17.09.21 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:02 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ओ. 20 रू. 6 –7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना (बाडमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

वादीगण –

1. लीलादेवी पुत्री मानाराम पत्नी रणछोडजी जाति माली उम्र 42 वर्ष निवासी ओटवाडा हॉल कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
2. दडियादेवी पुत्री मानाराम पत्नी जोगाराम जाति माली उम्र 40 वर्ष निवासी कुण्डल हॉल कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।

ब ना म

प्रतिवादीगण –

1. पोलाराम पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी
2. पुरखाराम पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी
3. खीमाराम पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी
4. बंशीलाल पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी
5. बाबुलाल पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी
6. सवाराम पुत्र श्री जवानाराम जाति माली निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व प्रकरण संख्या – 55/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण व हाजरी श्री कैलाशपुरी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कांखी के खेत खसरा संख्या 76 रकबा 48.17 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 248.08 बीघा कुल रकबा 297.05 बीघा में वादीगण का 1/6 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है तथा बाद घोषणा वादीगण के हक हिस्से की उक्त 1/6 हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी, बाधा नहीं करे। तहसीलदार सिवाना उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.09.21 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:02 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

दिनांक - 20.09.21

क्रमांकः वाचक/2021/7182

प्रतिलिपि – वास्ते पालनार्थ
भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना
(SDO) सिवाना